

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'उनतीस'

[ 28/2/2018 ]

प्रश्न सं. [ क. 965 ]

1/1

परिशिष्ट


सदन में उत्तर देने का दिनांक : 28/02/2018

(तारांकित प्रश्न क्रमांक 965 )

श्री आरिफ अकील

बैरसिया क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध दिनांक 06.12.2017 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत बनाये गये प्रकरणों का विवरण

क्रमांक	पंचनामा क्र/दिनांक	नाम एवं पता	कनेक्शन क्र.	स्वीकृत भार (वॉट में)	उद्देश्य/ व्यवसाय	पाई गई अनियमितता	की गई बिलिंग	
							क्षति राशि (रु. में)	समझौता राशि (रु. में)
1.	4194/12 दिनांक 6.12.17	ओम प्रकाश साहू ओम ट्रेडर्स कृषि उपज मंडी प्रांगण बैरसिया	7928815444	3730	गैर घरेलू/ अनाज ग्रेडिंग मशीन	3730 वॉट से 9543 वॉट (विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126)	9474/-	निरंक
2.	4194/13 दिनांक 6.12.17	सचिव कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया	491035000	3000	स्ट्रीट लाइट	3000 वॉट से 9750वॉट (विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126)	7075/-	निरंक
3.	4194/14 दिनांक 6.12.17	श्री स्वपनिल साहू (शिवम ट्रेडर्स) वल्द बिहारी लाल कृषि उपज मंडी समिति बैरसिया	9312325333	12000	गैर घरेलू/ अनाज ग्रेडिंग मशीन	मीटर के कनेक्शन गलत पाये गए।	आगामी तीन मासिक विद्युत देयक के आधार पर पूरक देयक जारी किया जावेगा।	
4	4194/16 दिनांक 6.12.17	श्री सुरेश दांगी वल्द, श्री गजराज सिंह टिकन खेड़ी रोड बैरसिया	190378	390	घरेलू	मीटर जला पाया गया	5070/-	निरंक

  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, भोपाल